

प्रेस नोट जनपद फतेहपुर दिनांक 18.01.2025

थाना बिन्दकी पुलिस टीम द्वारा शातिर अभियुक्त को चोरी का सामान व एक अदद तमचा मय 02 अदद जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण:-- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के कुशल पर्यवेक्षण मे अपराध एव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान दिनांक 17.01.2025 को थाना बिन्दकी पुलिस द्वारा अभियुक्त अली रजा उम्र करीब 24 वर्ष से एक अदद तमचा 315 बोर, 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक बैग में करीब 05 कि०ग्रा० चोरी किया हुआ जला हुआ तांबा का तार व एक अदद पेचकस व एक अदद पिलास सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर अ०स०-26/2025 धारा 317 (2) BNS व 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को आज दिनांक 18.01.2025 को मा० न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

1. अली रजा पुत्र मो० हनीफ उम्र करीब 24 वर्ष निवासी चौडगरा थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरण -

1. एक अदद तमचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. 05 कि०ग्रा० जला हुआ तांबा का तार
3. एक अदद पिलास
4. एक अदद पेचकस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 420/16 धारा 8/20 NDPS Act थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर
2. मु०अ०सं० 106/2018 धारा 147/323/504/506 भा०द०वि० व 3 (1) (द) (ध) SC/ST Act थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर
3. मु०अ०सं०-77/2019 धारा 380/411/454 भा०द०वि० थाना औंग जनपद फतेहपुर
4. मु०अ०सं० 84/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर
5. मु०अ०सं० 212/20 धारा 411 भा०द०वि० थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर
6. मु०अ०सं० 211/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर
7. मु०अ०सं० 210/20 धारा 8/20 NDPS Act थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर
8. मु०अ०सं० 319/21 धारा 413/420/467/468/471 थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर
9. मु०अ०सं० 320/21 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर
10. मु०अ०सं० 371/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर
11. मु०अ०सं० 26/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिंदकी जनपद फतेहपुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० दिनेश कुमार सिंह
2. हे०का० इमरान
3. हे०का० दयाराम निषाद
4. का० त्रिवेन्द्र